कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 1257/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,सितम्बर, 29 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षो (दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/19811/2016**

संदर्भ– 1–सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0–290/81–2–2022–800(67)/2012 लखनऊ दिनांक– 06.09.2022
2–आपका पत्रांक– 904/11–सी– FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 08.09.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.09.2022 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव के परीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1066/रेनुकूट/15–37 दिनांक 28.09.2022 द्वारा संस्तुति सहित वांछित सूचना निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0 स0	सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0–290/81–2–2022–800(67)/2012 लखनऊ दिनांक– 06.09.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	दिनांक 09.05.2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया? स्थिति स्पष्ट किया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि,प्रश्नगत प्रस्ताव के शासन में विचाराधीन रहते हुए मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. का पंजीकृत कार्यालय रेहला जिला–पलामू (झारखण्ड) होने के कारण कम्पनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा–391 से 394 के अन्तर्गत , माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 5/2015 व 6/2015 तथा मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 का पंजीकृत कार्यालय नागदा, (मध्य प्रदेश) होने के कारण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर बेंच) के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या– 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा दिनांक–24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 (इन्दौर) द्वारा दिनांक– 09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि., मे.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. मे समाहित हो गयी । तत्पश्चात मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा उसी प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा विकसित परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 अपलोड किया गया जिसे परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से उ0प्र0 शासन की सेवा में प्रेषित की गयी है जो वर्तमान मे उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रस्तावित वन भूमि मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को कितनी अवधि के लिये दिया गया था? अलग–अलग समयावधि अंकित किया जाय।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को लीज पर दिये जाने संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>संस्थान का नाम जिनको लीज पर दी गयी या दिया जाना है</th><th>लीज अवधि का विवरण</th><th>लीज संबंधी आदेश का विवरण / अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0</td><td>01.04.1963 से 31.03.1988 तक (25 वर्ष)</td><td>उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1252/14–बी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा लीज स्वीकृत किया गया ।</td></tr>
<tr><td>01.04.1988 से 31.03.2013 तक (25 वर्ष)</td><td>(1) भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 व
(2) उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 एवं मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा उपरोक्तानुसार लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसके प्रस्ताव पर अभी कोई आदेश जारी नही हुआ है ।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक– 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है । भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक– 29.01.2018 के पैरा–8</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>गया है? मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 20.07.2022 के बिन्दु–4 में अंकित है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.01.2018 का बिन्दु–बी का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है। क्यों?</td>
<td>एवं C मे अंकित विवरण एवं उसका हिन्दी रुपान्तरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><td>(B)</td><td>In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC</td><td>उन मामलों में जहां एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है</td></tr>
<tr><td>(C)</td><td>Violation/non – compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .</td><td>एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उलंघन/गैर अनुपालन</td></tr>
</table>
2– यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रस्तगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के पूर्व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1252/14–बी–503/61 दिना– 25.04.1964 द्वारा मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी ।
3– उक्त हस्तानान्तरित लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगे की अवधि हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तो के अधीन तथा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तो के अधीन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के उपरान्त नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।
4– उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक– 16.01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या–1 का आंशिक उल्लंघन किया गया है जिस हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक– 29.01.2018 के बिन्दु संख्या– सी के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का दोगुने धनराशि जमा कराये जाने हेतु वांछित आंकलन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>प्रयोक्ता एजेंसी निजी संस्था होने के बावजूद भी पत्र दिनांक 29.07.2022 के बिन्दु–9 में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था अंकित की गयी है। क्यों?</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तगत लीज की स्वीकृति उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1252/14–बी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमे समतुल्य गैर वन भूमि की शर्त को अधिरोपित नही किया गया था । उक्त लीज के नवीनीकरण किये जाने के संबंध मे भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 व इसके क्रम मे उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया । जारी नवीनीकरण आदेश मे अधिरोपित शर्तो के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण से समतुल्य गैर वन भूमि प्राप्त करते हुए उसे</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति आदेश जारी कराया जा चुका है । यहाँ यह उल्लेख करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानो के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के अन्य नवीनीकरण के प्रकरणो मे भारत सरकार द्वारा जारी आदेशो के दृष्टिगत ही इस प्रकरण मे पुनः समतुल्य गैर वन भूमि की माँग न करते हुए प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो की अनुरक्षण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रस्तावानुसार वर्तमान मे मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु दिया जाना है, किन्तु प्रकरण के विषय मे मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को दिये जाने का उल्लेख है?</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे0 वन भूमि वर्ष 1964 मे मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को लीज पर दी गयी थी जिसका उपयोग मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0 एवं वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है । उक्त कारणो से ही मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट का नाम का उल्लेख। प्रकरण मे विस्तृत विवरण उक्त बिन्दुओ में उल्लिखित किया गया है ।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>क्या उक्त प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देशो दिनांक 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है ?</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देश दिनांक– 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है ।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–3 के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध नही कराया गया है, कारन स्पष्ट किया जाये।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–3 के अनुसार ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त संख्या–9 का अनुपालन एवं पट्टा विलेख निष्पादन की प्रति उपलब्ध करायी जाये।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा निम्न प्रकार अवगत कराया है :–
1– शासनादेश दिनांक– 16.01.1996 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण से प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट निम्नानुसार जमा कराया गया है :–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्रीमियम एवं लीज रेंट की निर्धारित धनराशि</th><th>जमा का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम</td><td>168462.00 (प्रीमियम)</td><td>चालान संख्या–टी0 3 दि0 29.11.1996</td></tr>
<tr><td>1996–97</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या–टी0 1 दि0 15.05.1997</td></tr>
<tr><td>1997–98</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या–टी0 3 दि0 15.07.1997</td></tr>
<tr><td>1998–99</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या– टी0 6 दि0 29.05.1998</td></tr>
<tr><td>1999–00</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या– टी0 3 दि0 14.08.1999</td></tr>
<tr><td>2000–01</td><td>16847.00(लीज रेंट)</td><td>चालान संख्या– टी0 4 दि0 05.05.2000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		2001–02	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 24.04.2001
		2002–03	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या–टी0 5 दि0 17.04.2003
		2003–04	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 17.04.2003
		2004–05	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 3 दि0 16.04.2004
		2005–06	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 2 दि0 13.04.2005
		2006–07	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 12 दि0 30.05.2006
		2007–08	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 4 दि0 31.05.2007
		2008–09	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 7 दि0 23.04.2008
		2009–10	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 5 दि0 28.04.2009
		2010–11	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– टी0 6 दि0 17.04.2010
		2011–12	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40004 दि0 25.04.2011
		2012–13	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40001 दि0 05.07.2012
		प्रीमियम	9475000.00 (प्रीमियम)	चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2013–14	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40003 दि0 09.04.13 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2014–15	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40017 दि0 22.04.14 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2015–16	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40009 दि0 24.04.15 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2016–17	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0ओ0 40009 दि0 18.04.16 व चालान संख्या– आर0 060001 दि0 27.06.2016
		2017–18	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– आर0 040002 दि0 26.04.2017
		2018–19	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या–आर0 ओ0 40037 दि0 27.04.2018

		2019–20	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– ई0 964270 दि0 16.05.2019
		2020–21	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– एच0 ए0 00026 दि0 10.08.2021
		2021–22	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– एच0 ए0 00027 दि0 10.08.2021
		2022–23	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या– डी0आई0 00029 दि0 13.04.2022
		2– प्रश्नगत प्रकरण में लीज संबंधी जारी मूल आदेश दिनांक–25.04.1964 के अनुपालन मे सम्पादित पट्टाविलेख दिनांक–09.06.1970 की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।		

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 1257 /अ/ समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–1066/रेनुकूट/15–3, दिनांक 26.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/09/2022

o/c.

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर